भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †3519

उत्तर देने की तारीख- 08/08/2022

वन ग्राम

†3519. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की स्थिति क्या है; और

(ख) इसके लिए कितने वन ग्रामों की पहचान की गई है और ये राजस्व ग्रामों में बदलने के विभिन्न चरण पर हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) के प्रावधानों के तहत, अधिकार अन्य बातों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त है व अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के पात्र व्यक्तियों और समुदाय को अपनी आजीविका के लिए वन भूमि तथा संसाधनों के उपयोग के साथ वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और वन में अन्य ग्रामों, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हो अथवा नहीं, को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए निहित हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली के नियम 2क के अलावा, इस मंत्रालय ने 2013 में दिशानिर्देश जारी किए हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया को वर्णन करते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वन ग्रामों की संख्या के संबंध में राज्यवार सूचना अनुलग्नक - 1 में है। एफआरए की संबंधित धारा (सेक्शन) के अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की स्थिति अनुलग्नक - 2 में है।

अनुलग्नक - 1

'वन ग्राम' के संबंध में दिनांक 08.08.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3519 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक -1

क्र.सं.	राज्य का नाम	वन गांवों की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	41
2	उत्तराखंड	421
3	उत्तर प्रदेश	89
4	सिक्किम	51
5	असम	897
6	झारखंड	14
7	ओडिशा	47
8	छत्तीसगढ	658
9	मध्य प्रदेश	1165
10	गुजरात	162
11	महाराष्ट्र	73
12	आंध्र प्रदेश	3
13	तमिलनाडु	736
14	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169
	भारत	**4526**

(स्रोत: जनगणना 2011)

अनुलग्नक - 2

'वन ग्राम' के संबंध में दिनांक 08.08.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3519 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक -2

क्र.सं.	राज्य का नाम	वन ग्राम से राजस्व ग्राम (04.08.2022 तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर)
1.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ-23-2/2021/25-3/384 दिनांक 22.04.2022 द्वारा 925 वन ग्रामों में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने उक्त निर्णय के अनुपालन में संयुक्त रूप से पत्र 23-2/2021/25-3/484 दिनांक 26.05.2022 द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
2	महाराष्ट्र	सभी वन ग्राम राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया में हैं
3	छत्तीसगढ़	421 वन ग्राम राजस्व ग्राम में परिवर्तित किए गए
4	पश्चिम बंगाल	86 वन ग्राम राजस्व ग्राम में परिवर्तित किए गए
5	ओडिशा	संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा 458वन/सर्वेक्षण किए गए ग्रामों/बस्तियों/वन ग्रामों आदि की पहचान की गई है जिनमें से 14 ग्रामों को जून, 2022 के अंत तक राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर दिया गया है। 209 गांवों/बस्तियों के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और 62 को डीएलसी स्तरों पर मंजूरी दी गई है।
6	गुजरात	राज्य में 196 वन बस्ती (सेटलमेंट) ग्रामों की पहचान की गई है। संरक्षित क्षेत्रों के 14 ग्रामों को छोड़कर सभी ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
7	उत्तर प्रदेश	7 जिलों के 42 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
8	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वन अधिकार अधिनियम संबंधी जिला स्तरीय समिति, दवेनगेरे जिले को वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए 8 वन गांवों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रियाधीन हैं।

*****